



कुलाधिपति
Chancellor

जोधपुर कृषि

.....विश्वविद्यालय,
.....University,

राज भवन, जयपुर - 302006

Raj Bhawan, Jaipur

क्रमांक : एफ.48(2)आरबी/2022/5795

दिनांक : 18 अक्टूबर, 2025

आदेश

मैं, हरिभाऊ बागडे, राज्यपाल, राजस्थान एवं कुलाधिपति, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर उक्त विश्वविद्यालय के अधिनियम 2013 (यथा संशोधित) की धारा 25(3) व (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खोजबीन समिति की सिफारिश पर राज्य सरकार के परामर्श से डॉ. विरेन्द्र सिंह जैतावत, सेवानिवृत्त प्रोफेसर, निदेशक विस्तार शिक्षा, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर को कार्यभार संभालने की तिथि से तीन वर्ष या उसके सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर का कुलगुरु नियुक्त करता हूँ।

यह नियुक्ति सक्षम प्राधिकारी द्वारा सतर्कता अनापत्ति प्रस्तुत करने के अधीन होगी।

हस्ता० / -

(हरिभाऊ बागडे)

राज्यपाल, राजस्थान एवं कुलाधिपति

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. शासन सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. डॉ. विरेन्द्र सिंह जैतावत, 28 गज सिंह कॉलोनी (बीजेएस), आर्मी पब्लिक स्कूल के पास, अजमेर रोड, जोधपुर-342015
5. प्रो. अखिल रंजन गर्ग, कार्यवाहक कुलगुरु, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर।
6. कुलसचिव, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर।
7. कुलसचिव, बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, बीकानेर।
8. प्रभारी अधिकारी, आई.टी. सैल, राजभवन को वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।



(डॉ. पृथ्वी)

सचिव,

राज्यपाल, राजस्थान